

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही**  
**(पीठासीन अधिकारी: डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)**

**प्रार्थीगण**

1. हकमाराम पुत्र चमनाजी, जाति- प्रजापत, निवासी- नवारा, तह0 व जिला-सिरोही
2. देवाराम पुत्र चमनाजी, जाति- प्रजापत, निवासी- नवारा, तह0 व जिला-सिरोही
3. हंसाराम पुत्र चमनाजी, जाति- प्रजापत, निवासी- नवारा, तह0 व जिला-सिरोही
4. फालुदेवी पत्नी जैसाजी, जाति- प्रजापत, निवासी- नवारा, तह0 व जिला-सिरोही
5. तोलाराम पुत्र बाबाजी, जाति- प्रजापत, निवासी- नवारा, तह0 व जिला-सिरोही
6. रतनी देवी पत्नी बाबाजी, जाति- प्रजापत, निवासी- नवारा, तह0 व जिला-सिरोही

**बनाम**

**अप्रार्थीगण**

1. दलपत पुत्र जवान जी, जाति- रावल, निवासी- नवारा, तहसील व जिला- सिरोही
2. सरपंच, ग्राम पंचायत, नवारा, तहसील- सिरोही, जिला- सिरोही
3. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, नवारा, तहसील- सिरोही, जिला- सिरोही

**पंचायत निगरानी संख्या: 30/2022**

**“निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97(1) राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994”**

**उपस्थिति:**

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार पुरी, प्रार्थीगण की ओर से
2. अधिवक्ता श्री चेतन रावल, अप्रार्थी संख्या-1 (एक) की ओर से


**—: निर्णय :-**

**दिनांक 30 जनवरी, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, नवारा द्वारा श्रीमती मगु पत्नी जवानजी, जाति- रावल, निवासी- नवारा के पक्ष में राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के तहत क्षेत्रफल 2972 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 15-9-1982 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या- 1 (एक) की ओर से अधिवक्ता श्री चेतन रावल उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या- 1 (एक) की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या: 2 व 3 को नोटिस की तामिल होने पर प्रकरण में नियत सुनवाई दिनांक 02-12-2022 को ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, नवारा इस न्यायालय में उपस्थित हुये, लेकिन उसके बाद अप्रार्थी संख्या 2 व 3 उपस्थित नहीं हुये।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरी ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थीगण व उनके परिवार के लोगों के मकानात ग्राम नवारा में आये हुए है, जहां पर वे परिवार सहित निवास करते है। प्रार्थीगण व उसके परिवारजन के मकानात, निगरानी आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शों में मार्क ABCDEF में दर्शाया हुये है, जिसकी चतुर्दशी पूर्व दिशा में अन्य आबादी शुदा भूखण्ड, पश्चिम में अप्रार्थी दलपत रावल का निर्माणाधीन मकान व मगन रावल का मकान एवं प्रार्थीगण के परिवारजन के आवागमन हेतु 12 फीट चौड़ाई में गली, उत्तर में आबादी शुदा मकान व दक्षिण दिशा में आबादी शुदा मकान आया हुआ है। ग्राम पंचायत, नवारा द्वारा अप्रार्थी दलपत की माता श्रीमती मगु पत्नी जवानजी, जाति- रावल के नाम से एक पट्टा विलेख संख्या 12 दिनांक 15-9-1982 को जारी किया हुआ है तथा अप्रार्थी दलपत की माता की मृत्यु

  
.....पेज दो पर  
**अति. जिला कलेक्टर**  
**सिरोही (राज.)**



हो चुकी है। उक्त पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत, नवारा द्वारा मौके की जांच किये बिना एवं मौके का निरीक्षण किये बिना ही मौके की स्थिति के विपरित गलत पट्टा विलेख जारी कर दिया है जबकि श्रीमती मगुदेवी का पुराना मकान कच्चा केलुपोश का बना हुआ था उस अनुसार नाप करके पट्टा विलेख जारी करना चाहिए था लेकिन ग्राम पंचायत, नवारा ने मगुदेवी से मेलमिलाप कर मौके पर जो पुराना मकान बना हुआ था उसके अनुसार पट्टा जारी नहीं कर मौके की स्थिति के विपरित गलत नाप दर्शाकर पट्टा जारी किया है, जबकि मौके पर पट्टे अनुसार 54 फीट भूमि है ही नहीं और न ही पुराना कच्चा केलुपोश का मकान बना हुआ था। मगुदेवी के पुराने कच्चे केलुपोश मकान का नाप पूर्व-पश्चिम 50 फीट एवं उत्तर-दक्षिण 55 फीट था, लेकिन ग्राम पंचायत, नवारा द्वारा श्रीमती मगुदेवी से मेल मिलावट करके उत्तर दिशा की ओर स्थित 12 फीट चौड़ी गली/रास्ते की भूमि में से 4 फीट रास्ता भूमि कम करते हुए अप्रार्थी दलपत की माता के नाम से 50X55 फीट भूमि का पट्टा जारी करने के स्थान पर 54 फीट नाप लिख दिया है, जबकि अप्रार्थी दलपत व उसकी माता का पुराना कच्चा केलुपोश का मकान 50 फीट भूमि पर ही बना हुआ था। प्रार्थीगण के आवागमन व मकानात में आने जाने हेतु एकमात्र रास्ता उक्त 12 फीट चौड़ी गली/रास्ता ही है जो 12 फीट की चौड़ाई में है व इसी रास्ते/गली से प्रार्थीगण आवागमन करते हैं एवं अपनी बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि के आवागमन हेतु उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायत, नवारा ने मौके की स्थिति के विपरित 50X55 वर्गफीट भूमि के स्थान पर 4 फीट गली/रास्ते की भूमि को मिलाते हुए अप्रार्थी दलपत की माता मगुदेवी के नाम से पट्टा जारी कर दिया है, जबकि रास्ते की भूमि का कानूनन पट्टा जारी नहीं हो सकता है। अप्रार्थी दलपत की माता मगुदेवी के नाम पट्टा विलेख जारी करने के पश्चात् श्रीमती मगुदेवी ने आधे हिस्से की भूमि मगनलाल पुत्र नवाजी को बेचान कर दी जिसका पुराना नाप अनुसार 25X55 फीट भूमि पर ही निर्माण किया हुआ था एवं 25X55 फीट भूमि पर आज से 05 वर्ष पूर्व अप्रार्थी दलपत ने कच्चे केलुपोश मकान के स्थान पर उसी नाप अनुसार नयेसर मकान का निर्माण करवाया था और इसी अनुसार मौके पर 12 फीट रास्ता कायम था जिसमें अप्रार्थी दलपत ने दरवाजा भी खोला हुआ है, जो मौके पर कायम है। प्रार्थीगण के आवागमन का एकमात्र रास्ता, उक्त 12 फीट गली ही है जो करीब डेढ़ सौ वर्ष पुरानी गली है जो नजरी नक्शे में EFGH से दर्शाई हुई है एवं EF भाग पर लोहे का बड़ा गेट लगा हुआ है ताकि आवारा पशु इत्यादि प्रार्थीगण के मकानात में नहीं आ सके एवं मार्क ABCDEF भाग पर प्रार्थीगण के आवासीय मकानात बने हुए हैं। ग्राम पंचायत को आम रास्ते/गली की भूमि का किसी को बेचान करने का अधिकार नहीं है तथा न ही रास्ते की भूमि पर निर्माण कार्य करने का किसी व्यक्ति को कोई हक अधिकार है। ग्राम पंचायत को विधि में रास्ते की भूमि का सुरक्षा करने का अधिकार एवं ग्राम पंचायत को एक ट्रस्टी के रूप में रास्ते की भूमि को सुरक्षित रखने का अधिकार हैं। अप्रार्थी दलपत द्वारा पूर्व से उसके हिस्से में आई 1/2 हिस्से की भूमि पर वर्ष 2017 में अवैध रूप से EFGH रास्ते की भूमि पर बिना किसी अनुमति के दरवाजा खोलने पर उसकी शिकायत विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरौही को की गई। जिस पर पंचायत प्रसार अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा इसकी मौके की जांच की गई। जांच रिपोर्ट एवं मौका नक्शा बनाया गया एवं उक्त मौके के नक्शे व जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से पूर्व-पश्चिम 50 फीट चौड़ाई में होना बताया है जो पूर्व में 50 फीट एवं पश्चिम में 57 फीट है एवं दो भाग में 25-25 वर्गफीट में अप्रार्थी दलपत का मकान निर्माणाधीन है एवं दलपत रावल का मकान निर्माण होना बताया है एवं प्रार्थीगण के एक मात्र आवागमन हेतु उक्त जांच रिपोर्ट में रास्ता 12 फीट चौड़ाई में दर्शाया हुआ है। इससे स्पष्टतया जाहिर है कि मगुदेवी के मकान के चौड़ाई 50 फीट थी लेकिन ग्राम पंचायत,



.....पेज तीन पर  
 अति. जिला कलक्टर  
 सिरौही (राज.)

नवारा द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से मेल मिलावट कर गलत रूप से 50 फीट के स्थान पर 55 फीट लिखकर जो पट्टा जारी किया है जो कानूनन गलत है। ग्राम पंचायत, नवारा द्वारा अप्रार्थी दलपत की माता मगुदेवी को जारी पट्टे में गलत नाप दर्ज कर देने से अप्रार्थी दलपत द्वारा पट्टे की आड में उक्त रास्ते/गली की भूमि में नींव खोदकर दिवार का निर्माण कार्य शुरु कर दिया है, इस कारण से मौके पर उक्त 12 फीट रास्ते/गली की चौड़ाई कम हो गई है और प्रार्थीगण के आवागमन व ट्रेक्टर व बैलगाडी आदि को आने ले जाने में अवरोध उत्पन्न हो गया है। अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, नवारा द्वारा अप्रार्थी मगुदेवी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 15-9-1982 में से उत्तर दिशा की ओर 4 (चार) फीट रास्ते की भूमि का पट्टा निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 (एक) दलपत के विद्वान अधिवक्ता श्री रावल ने अप्रार्थी दलपत के जबाव में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, नवारा द्वारा अप्रार्थी दलपत की माता श्रीमती मगु बेवा जवान जी रावल के नाम से पट्टा विलेख संख्या 12 दिनांक 15-09-1982 को जारी किया हुआ है जो ग्राम पंचायत, नवारा द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए मौके की जाँच कर मौके पर नाप जोख कर नियमानुसार जारी किया गया है तथा उक्त पट्टे शुदा भूमि पर अप्रार्थी दलपत की माता का वर्ष 1982 के पूर्व से लगातार कब्जा भोगवटा व स्वामित्व रहा है एवं मौके पर अप्रार्थी दलपत की माता का उक्त पट्टे शुदा भूमि पर पूर्व दिशा में मौके पर 54 फीट भूमि पर ही कब्जा था जिससे ग्राम पंचायत ने मौके की जाँच करके नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे की भूमि में गली की भूमि सम्मिलित नहीं हैं एवं न ही गली की भूमि का पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टे शुदा भूमि में से 1902 वर्गफीट भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 23-11-2009 के द्वारा मगनलाल पुत्र नवाजी को बेचान की गई है व शेष भूमि पर मौके पर अप्रार्थी दलपत का यथावत् कब्जा है। अप्रार्थी दलपत ने ग्राम पंचायत, नवारा से निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर मौके पर नये मकान का निर्माण करवाया है। जिसमें अप्रार्थी दलपत अपने परिवार सहित निवास कर रहा है। अप्रार्थी दलपत ने विधि विरुद्ध कोई निर्माण कार्य नहीं कराया है न ही गली की भूमि पर अवरोध पैदा किया है बल्कि मौके पर अप्रार्थी दलपत के पट्टे शुदा भूमि के उत्तर दिशा में स्थित गली/रास्ता आवागमन हेतु चालु है एवं अप्रार्थी दलपत ने अपनी पट्टे शुदा भूमि के उत्तर दिशा में स्थित गली / रास्ते की ओर अपने पट्टे शुदा भूमि के अन्दर ही दरवाजा खोला है एवं आज भी मौके पर रास्ता चालु है जहां से लोग आवागमन करते हैं। अप्रार्थी दलपत ने ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर एवं अनुमति लेकर निर्माण कार्य चालु करवाया था एवं पट्टे के नाप के अनुसार ही एवं पट्टेशुदा भूमि में ही निर्माण कार्य करने की शर्त पर पंचायत द्वारा अप्रार्थी दलपत के हक में निर्माण स्वीकृति जारी की गई थी एवं रास्ते की भूमि पर प्रार्थी संख्या 1 से 3 व प्रार्थी संख्या 5 व 6 के पिता/पति बाबाजी पुत्र मुलाजी कुम्हार द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा किया था जिसे हटाने हेतु अप्रार्थी दलपत ने ग्राम पंचायत, नवारा को एक लिखित में शिकायत दिनांक 06-3-2018 को की गई थी। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी दलपत द्वारा रास्ते की भूमि को अवरुद्ध नहीं किया गया है, बल्कि प्रार्थीगण द्वारा रास्ते की भूमि पर अवैध कब्जा कर रास्ते को संकडा किया गया है। अप्रार्थी दलपत द्वारा ग्राम पंचायत से विधिवत निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर मकान का निर्माण करवाया है एवं पंचायत द्वारा अप्रार्थी दलपत की माता के नाम पट्टा जारी करने से पहले विधिक प्रक्रिया का पालन किया गया है एवं पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत, नवारा द्वारा भूमि का नक्शा तैयार किया गया एवं तीन वार्ड पंचो ने भूमि का मौका निरीक्षण किया एवं ग्राम पंचायत द्वारा आपत्ति नोटिस भी जारी किये गये हैं एवं अन्दर मियाद कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी दलपत की



.....पेज चार पर  
अति. जिला कलक्टर  
सिरोही (राज.)

माता मगु देवी के नाम से पट्टा जारी किया जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को शुरू से ही है, लेकिन प्रार्थीगण ने पट्टा जारी होने के बाद कोई आपत्ति नहीं की एवं मनगढन्त आरोप लगाकर यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। यह कि प्रार्थी संख्या 5 व 6 के पिता/पति बाबाराम द्वारा वर्ष 2018 में इसी न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरौही में उक्त प्रश्नगत पट्टे को लेकर एक निगरानी आवेदन धारा 97(1) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत प्रस्तुत किया था, जिसके पंचायत निगरानी संख्या: 01/2018 है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29-12-2020 को निर्णय पारित करते हुए प्रार्थी संख्या 5 व के पिता/पति बाबाराम द्वारा प्रस्तुत निगरानी आवेदन को खारिज किया गया था एवं न्यायालय द्वारा विस्तृत विवेचन कर निर्णय पारित किया गया था तथा अब प्रार्थीगण द्वारा दुबारा यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो "पूर्व न्याय" (Resjudicata) की श्रेणी में आता है व कानूनन परिपोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 (दलपत) के विद्वान अधिवक्ता के कथनों के जबाब में प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि इस न्यायालय में पूर्व में पंचायत निगरानी संख्या 01/2018 में पारित निर्णय दिनांक 29-12-2020 में भी यह अंकित किया हुआ है कि यदि अप्रार्थी दलपत द्वारा उसके मकान के उत्तर दिशा में खोले गये दरवाजे की आड़ में गली/रास्ते की भूमि में अवरोध पैदा किया जाता है अथवा रास्ता अवरुद्ध किया जाता है तो गली/रास्ते की भूमि से अवरोध/अतिक्रमण हटाया जावे, लेकिन उक्त निर्णय होने के बाद अप्रार्थी दलपत ने उक्त प्रश्नगत पट्टे की आड़ में उसके मकान के उत्तर दिशा में पूर्व में खोले गये दरवाजे के आगे करीब 4 फीट गली/रास्ते की भूमि पर दीवार का निर्माण कर रास्ते को संकड़ा व अवरुद्ध किया है, जिससे उक्त 12 फीट चौड़ाई की गली/रास्ता मौके पर संकड़ा हो गया है इस कारण प्रार्थीगण को आवागमन एवं वाहन आदि को आने ले जाने में अवरोध उत्पन्न हो गया है, इसलिये अप्रार्थी दलपत की माता के पक्ष में जारी उक्त प्रश्नगत पट्टे की भूमि से पट्टे के उत्तर दिशा में स्थित गली/रास्ते की 4 फीट भूमि का पट्टा निरस्त किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, नवारा द्वारा श्रीमती मगु पत्नी जवानजी, जाति- रावल, निवासी- नवारा के पक्ष में राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के अन्तर्गत क्षेत्रफल 2972 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 12 दिनांक 15-9-1982 को जारी किया गया है। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी दलपत की माता मगुदेवी पत्नी जवान जी रावल, निवासी- नवारा के पक्ष में जारी उक्त प्रश्नगत पट्टा संख्या 12 दिनांक 15-9-1982 को निरस्त कराने हेतु पूर्व में श्री बाबाराम पुत्र मूलाजी, जाति- कुम्हार, निवासी- नवारा द्वारा अप्रार्थी दलपत पुत्र जवान जी रावल, निवासी- नवारा व सरपंच, ग्राम पंचायत, नवारा के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97(1) के तहत, निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया था, जो पंचायत निगरानी संख्या: 01/2018 पर दर्ज रजिस्टर होकर बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा उक्त पंचायत निगरानी संख्या: 01/2018 में पारित निर्णय दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 के द्वारा प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया गया था।

पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि श्रीमती मगुदेवी पत्नी जवान जी रावल के पक्ष में जारी उक्त पट्टा संख्या 12 दिनांक 15-9-1982 में अंकित चतुर्दशी में उत्तर दिशा में आम रास्ता दर्शाया है एवं उक्त पट्टेशुदा भूमि पर अप्रार्थी दलपत द्वारा मकान निर्माण के समय उत्तर दिशा में आम रास्ते की भूमि की ओर



.....पेज पांच पर  
अति. जिला कलेक्टर  
सिरौही (राज.)

दरवाजा खोला गया है। इस संबंध में प्रार्थीगण का कथन है कि "अप्रार्थी दलपत ने उसके मकान के उत्तर दिशा में खोले गये उक्त दरवाजे के आगे पट्टे की आड में 4 फीट रास्ते/गली की भूमि पर दीवार का निर्माण करवाया है, जिससे प्रार्थीगण के आने जाने के रास्ते में अवरोध उत्पन्न हो गया है और रास्ता संकड़ा हो गया है।" प्रार्थीगण ने अपने इस कथन के समर्थन में मौके की स्थिति के पहले के व वर्तमान स्थिति के फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किये हैं, जिनको देखने से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी दलपत द्वारा अपनी माता मगुदेवी के नाम की उक्त पट्टेशुदा भूमि में पूर्व में मकान के निर्माण के समय उत्तर दिशा में स्थित रास्ते/गली में दरवाजा खोला गया था जो उस समय निर्माण कार्य बिल्डिंग लाईन में करवाया हुआ था, लेकिन मौके की वर्तमान स्थिति के फोटोग्राफ्स को देखने से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी दलपत ने अपने मकान में उत्तर दिशा में रास्ते/गली में खोले गये दरवाजे के आगे रास्ते की भूमि में दीवार का निर्माण करवाया है, जिससे प्रार्थीगण के मकानात व भूमि में आने जाने का रास्ता संकड़ा हो गया है, जबकि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में उक्त पंचायत निगरानी संख्या: 01/2018 में पारित निर्णय दिनांक 29-12-2020 में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि "यदि अप्रार्थी दलपत द्वारा उसके मकान में उत्तर दिशा में खोले गये दरवाजे की आड में गली/रास्ते की भूमि में अवरोध पैदा किया जाता है अथवा रास्ता अवरुद्ध किया जाता है तो गली/रास्ते की भूमि से अवरोध/अतिक्रमण हटाने हेतु ग्राम पंचायत सक्षम एवं स्वतंत्र है।"

इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि अप्रार्थी दलपत द्वारा इस न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 29-12-2020 के बाद अपने मकान में उत्तर दिशा में दरवाजे से आगे रास्ते/गली की भूमि में उक्त प्रश्नगत पट्टे की आड में दीवार का निर्माण कार्य करवाया है, जिसके कारण रास्ता संकड़ा हो गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि आम रास्ते की भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है व रास्ते की भूमि का कानूनन पट्टा जारी नहीं हो सकता है और न ही रास्ते की भूमि पर किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्माण कार्य करवाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, इस प्रकरण में "पूर्व न्याय" का सिद्धान्त लागू नहीं होता है और न ही "पूर्व न्याय" की आड में आम रास्ते की भूमि पर निर्माण कार्य किया जा सकता है।

### आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, नवारा द्वारा श्रीमती मगुदेवी पत्नी जवान जी रावल, निवासी- नवारा के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 15-9-1982 में से आम रास्ते की मात्र 4 (चार) फीट हद तक की भूमि (जो मगुदेवी पत्नी जवान जी रावल, निवासी- नवारा के उक्त पट्टा संख्या 12 दिनांक 15-9-1982 की चतुर्दशी में उत्तर दिशा की तरफ अंकित है) का पट्टा निरस्त किया जाता है एवं शेष भूमि का पट्टा यथावत बहाल रखा जाता है। साथ ही, ग्राम पंचायत, नवारा को निर्देशित किया जाता है कि मगुदेवी पत्नी जवान जी रावल, निवासी- नवारा के उक्त पट्टा संख्या 12 दिनांक 15-9-1982 में से उत्तर दिशा में 4 (फीट) रास्ते की सीमा तक निरस्त पट्टा भूमि का उक्त पट्टा संख्या 12 दिनांक 15-9-1982 में व पंचायत रेकॉर्ड में इन्द्राज करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 30 जनवरी, 2026 को सर-ए-ईजलास सुनाया गया।



(डॉ. राजेश गोयल)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
सिरोही